कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 716/15–1 दिनांक 21.9.2024 एवं कार्यालय पत्रांक 2252/29–1 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु पर्यटन सत्र–2025–26 हेतु वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन।

वाहनों के पंजीकरण आवेदन पत्र (वर्ष 2025–26)

कार्बेट टाईगर रिजर्व रामनगर (नैनीताल)।

वाहन पंजीकरण हेतु आवेदन की श्रेणी

ई0डी0सी श्रेणी	खुली श्रेणी	विशेष श्रेणी (महिला उद्यमी)

स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटो

1. वाहन स्वामी का नामः ....
2. पिता/पति का नामः ....
3. वाहन स्वामी का पताः ....

अ– स्थाई ....

....

ब– अस्थाई (पत्राचार पता) ....

....

स– मोबाइल न0.. .

वाहन संबन्धी सूचना–

(i) वाहन संख्या :–

(ii) वाहन का पंजीकरण संख्या (परिवहन विभाग उत्तराखण्ड आर0सी0 के अनुसार) .... प्रदूषण मानक–यूरो नं0 के समक्ष बॉक्स में सही के निशान से टिक करें ***(नोटः–भारत स्टेज–3/4/6 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें)***

भारत स्टेज/यूरो–3 [ ] भारत स्टेज/यूरो–4 [ ] भारत स्टेज/यूरो–6

(iii) टैक्सी परमिट संख्या – ....वैध अवधि कब से ....कब तक .... (सम्पूर्ण वर्ष हेतु हो)

(iv) बीमा प्रपत्र ....वैध अवधि कब से ....कब तक ....

(v) प्रदूषण प्रमाण पत्र ....वैध अवधि कब से ....कब तक........................

(vi) वाहन का प्रकार ....इन्जन नम्बर ....

(vii) चैचिस नम्बर ....उत्पाद वर्ष/मॉडल ....यात्री क्षमता........................

नोटः– *बिन्दु संख्या* **(iii), (iv), (v)** *से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्पूर्ण वर्ष के लिए ही मान्य होगे, यदि उक्त प्रमाण पत्र पंजीकरण अवधि में कालातीत होते है तो उनको तत्काल नवीनीकरण कराकर उसकी सत्यापित छायाप्रति कार्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय में जमा कराने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।*

उक्त प्रमाण पत्रों की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्रो की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें जो स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने आदि के लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा ऐसा पाये जाने पर उसके विरूद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

वाहन चालको के पंजीकरण सम्बन्धी वांछित सूचना

(यदि उक्त वाहन कार्बेट टाइगर रिजर्व में तीन वर्ष से कम पंजीकृत हुआ है तो वाहन चालक के पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चालन का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा

स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटो

नोट :– 1. ई0डी0सी0 श्रेणी के आवेदन में एक वाहन चालक ई0डी0सी0 ग्राम का होना एवं ई0डी0सी0 ग्राम अध्यक्ष द्वारा जारी ई0डी0सी ग्राम का निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. **(अ).** प्रथम चालक का नाम ....पिता/पति का नाम..आयु................

जन्मतिथि (लाइसेंस मे अंकित विवरण के अनुसार)..

चालक का पता – अ– स्थाई ....

ब– अस्थाई ....

ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण ....फोन/मोबाईल नं0..

(ब). द्वितीय चालक का नाम ....पिता/पति का नाम..आयु................

स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटो

जन्मतिथि (लाइसेस मे अंकित विवरण के अनुसार)..

चालक का पता – अ– स्थाई ....

ब– अस्थाई ....

ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण .... फोन/मोबाईल नं0..

5. किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त चालकों के दो चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये, जो छः माह से अधिक पुराने न हों तथा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी/सम्मानित व्यक्ति का नाम व मुहर स्पष्ट होनी चाहिए।
6. **महिला वाहन स्वामियों द्वारा व्यवसायिक पंजीकृत वाहनों के स्वामित्व, संचालन एवं परिचालन का कार्य केवल पंजीकृत महिला वाहन चालकों द्वारा ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।**
7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी मेरे द्वारा सही दी गयी है, मैं यह भी आश्वस्त करता हूँ, कि यदि मेरे द्वारा जमा दस्तावेजों की वैधता समाप्त होती है, और मेरे द्वारा विस्तारित अवधि के दस्तावेज ससमय कार्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय में जमा नहीं किए जाते है तो मेरे वाहन को पार्क में प्रवेश से रोके जाने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, कार्बेट टाइगर रिजर्व की नहीं।

वाहन स्वामी का नाम .... मोबाइल नं0.. हस्ताक्षर..

कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक संशोधित दिशा निर्देश।

सामान्य दिशा–निर्देश

1. पर्यटन हेतु व्यवसायिक वाहनों का पंजीकरण निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा प्रत्येक पर्यटन सत्र(प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर से अगले वर्ष 14 नवम्बर तक) हेतु चयनित अर्ह वाहन स्वामी के नाम पर किया जायेगा।
2. पंजीकरण हेतु स्थायी परमिट धारकों को वरीयता दी जायेगी।
3. पंजीकरण हेतु केवल उन्हीं वाहनों के आवेदन पर विचार किया जायेगा, जिनके पंजीकृत वाहन स्वामी के पास पासवाहन स्वामी अथवा वाहन चालक के रूप मेंकार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन संचालन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होगा।
4. प्रत्येक वाहन के साथ कम से कम 02 वाहन चालकों का भी पंजीकरण कराया जायेगा, जिनमें से कम से कम 01 वाहन चालक को कार्बेट टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहन के चलाने का 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। नये वाहन चालकों के पंजीकरण में महिला वाहन चालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. कार्बेट टाइगर रिजर्व के 6 पर्यटन जोन (ढेला, झिरना, गर्जिया, बिजरानी, ढिकाला एवं दुर्गादेवी) हेतु पंजीकरण निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर के कार्यालय तथा अन्य 02 पर्यटन जोन (पाखरौ एवं सोनानदी) का पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ वन प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा किया जायेगा।
6. पर्यटन सत्र में किये जाने वाले पर्यटन वाहन पंजीकरण की अधिकतम सीमा प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।
7. उपरोक्त निर्धारित सीमा के अनुरुप वाहनों का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणीयों के अनुसार, क्रमबद्व तरीके से किया जायेगा। यदि किसी श्रेणी में अधिकतम निर्धारित सीमा अधिक वैध आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उक्त श्रेणी हेतु प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के मध्य चयन हेतु पूर्ण पारदर्शिता लाने के उददेश्य सेअर्ह वाहनों का निर्धारण लॉटरी के द्वारा किया जायेगा। यदि श्रेणी में अधिकतम सीमा से कम वैध आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो सभी वैध एवं पात्र आवेदन पत्रों का पंजीकरण कर बाकी बची सीमा हेतु अगली श्रेणी में आवेदन करने वाले वाहनों के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह प्रक्रिया अधिकतम निर्धारित वाहन संख्या प्राप्त होने तक चलायी जायेगी।

खुलीश्रेणी

i. **प्रथम श्रेणी**–इस श्रेणी में ऐसे स्थायी परमिट धारकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले 8 अथवा अधिक वर्षों से पंजीकृतहैं, तथा जिनके विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है।इस हेतु उन वाहनों को चयनित किया जायेगा, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक न हो।
इस श्रेणी में यदि कोई आवेदनकर्ता जो समस्त अन्य शर्तों को पूर्ण करता है परंतु उसका वाहन आवेदन की तिथि पर15 वर्षों से पूर्वका है, का आवेदन प्राप्त होता है, तोऐसे आवेदनकर्ता को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का अस्थाई पंजीकरण दिया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु का वाहन संचालन हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 03 माह पश्चात उनका पंजीकरणस्वतः निरस्त कर उनका नाम इस श्रेणी से हटा दिया जायेगा।

ii. **द्वितीय श्रेणी** – प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत अधिकतम सीमा के अनुसार वाहन उपलब्ध न होने पर द्वितीय श्रेणी के वाहनों को चयन हेतु लिया जायेगा। इस श्रेणी में ऐसे स्थायी परमिट धारकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में न्यूनतम 5 वर्षों से पंजीकृत हैं, तथा जिनके विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी हो। इस हेतु उन वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके वाहन 15 वर्ष से ज्यादा पुराने न हो।

iii. इस श्रेणी में यदि कोई आवेदनकर्ता जो समस्त अन्य शर्तों को पूर्ण करता है परंतु उसका वाहन आवेदन की तिथि पर 15 वर्षों से पूर्व का है, का आवेदन प्राप्त होता है, तो ऐसे आवेदनकर्ता को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का अस्थाई पंजीकरण दिया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु का वाहन संचालन हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 03 माह पश्चात उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त कर उनका नाम इस श्रेणी से हटा दिया जायेगा।

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 2252/29–1 दिनांक 01.01.2026 से कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा–निर्देश (खुली श्रेणी) iv तृतीय श्रेणी संशोधित

iv. ***"तृतीय श्रेणी – यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चलाने हेतु स्थायी परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो।***
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरांत निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।"

विशेष श्रेणी (ईको विकास समिति)

कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे ग्रामों के बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत ई0डी0सी0 के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण किया जायेगा। इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा पृथक से किया जायेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उक्त वाहन का स्वामित्व एवं दो में से कम से कम एक वाहन चालक ई0डी0सी0 ग्रामों में निवासरत ग्रामीण हो। इसकी पुष्टि हेतु निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व अपने स्तर से यथोचित जांच कर सकते हैं तथा इस विषय में उनका निर्णय अंतिम होगा। निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व विभिन्न ईको विकास समितियों में समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी एक ई0डी0सी0 द्वारा संचालित किये जाने वाले वाहनों की अधिकतम सीमा भी अपने स्तर से आवश्यकतानुसार निर्धारित कर सकते हैं।

निर्धारित सीमा से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर वाहनों का पंजीकरण, चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

विशेष श्रेणी (महिला उद्यमी)

राज्य में महिलाओं को ईको पर्यटन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार की पहल के अन्तर्गत इस श्रेणी के अन्तर्गत उन वाहन को पंजीकरण हेतु लिया जायेगा, जिनमें वाहन का स्वामित्व एवं संचालन कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा चयनित महिला पर्यटन उद्यमियों द्वारा किया जायेगा।

इस हेतु ऐसी महिलाओं का चयन किया जायेगा जो निम्न अर्हताएं पूर्ण करती हों –

1. वाहन का स्वामित्व एवं संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जायेगा।
2. संचालन हेतु प्रस्तुत वाहन 15 वर्ष से कम आयु का हो तथा इस क्षेत्र में संचालन हेतु वाहन द्वारा अन्य समस्त निर्धारित मानकों को पूरा किया जाता हो।
3. वाहन स्वामी द्वाराकॉर्बेट टाईगर रिजर्व से इस आशय का विशिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया हो।

इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा पृथक से किया जायेगा।

श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इनका चयन भी पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

पंजीकरण हेतु अर्ह वाहनों/चालकों हेतु मापदण्ड

1. वाहनों के लिए उत्सर्जक मानकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–
   - पंजीकरण हेतु भारत स्टेज 4 (यूरो 4) उत्सर्जक मानकों के अनुरूप आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
   - भविष्य में नये वाहनों की उपलब्धता होने पर इस हेतु नवीनतम उत्सर्जक मानकों के अनुसार वाहनों को प्राथमिकता पर पंजीकृत किया जायेगा।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले वाहनों में निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे, जो कि पंजीकरण हेतु मान्य पूरे सत्र हेतु वैध होने चाहिएः–
   (i) वाहन का उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत वैध पंजीकरण तथा ट्रांसपोर्ट विभाग का वैध व्यावसायिक परमिट अनिवार्य होगा।
   (ii) वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
   (iii) वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
   उपरोक्त सभी अभिलेख कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में संचालन के समय वैध होने चाहिए, जिसके अनुपालन का पूर्ण दायित्व संबंधित वाहन स्वामी एवं ड्राईवर का होगा। यदि किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि बिना वैध प्रमाण पत्रों के कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में किसी भी वाहन का संचालन किया गया तो ऐसे वाहन स्वामी एवं ड्राईवर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
3. आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में पंजीकरण की अवधि के दौरान वाहन स्वामी अथवा ड्राईवर के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य प्रकाश में आता है तथा/अथवा ऐसा कोई भी अभियोग मा0 न्यायालय अथवा सिविल/राजस्व पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित वाहन स्वामी इसकी जानकारी विलंबतम 72 घण्टे में निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. वाहन का सॉफ्ट टॉप तथा 4 व्हील ड्राइव होना अनिवार्य है।
5. वाहन का निर्धारित रंग (ऑलिव ग्रीन) होना चाहिए।
6. पंजीकरण हेतु चालकों के पास वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। पंजीकृत वाहन चालको के अतिरिक्त किसी अन्य को कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में उक्त वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो उस वाहन की वैधता पूरे सत्र के लिए निरस्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक वाहन में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा।
8. पंजीकृत चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा संचालित फर्स्ट एड तथा अन्य प्रशिक्षणों में भाग लेना तथा उन्हे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।
9. यह वाहन स्वामी का पूर्ण दायित्व होगा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में प्रवेश के समय वाहन के सभी इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल भाग भली भांति कार्य कर रहे हो। फोर (4) व्हील ड्राइव भली भांति कार्य कर रहा हो तथा स्पेयर टायर (स्टेपनी) तथा टूल बॉक्स आदि अच्छी हालत में हो।
10. सभी वाहनों पर कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित वाहन संख्या का स्टीकर/प्लेट लगाया जाना आवश्यक होगा।
11. वन क्षेत्र में भ्रमण के समय प्रत्येक वाहन चालक को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना एवं अपना नाम पट्टिका (Name Plate) एवं परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा। नाम पट्टिका एवं परिचय पत्र इस प्रकार प्रदर्शित किया जाये कि उसे आसानी से देखा एवं पढ़ा जा सके।
12. सभी वाहनों में कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित जी0पी0एस0 तथा मॉनिटरिंग हेतु इसी प्रकार का डैश कैम अथवा अन्य कोई उपकरण जो निर्दिष्ट किया जाये, लगाया जाना अनिवार्य होगा।
13. इन दिशा निर्देशों/नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही, जिसमें वाहन तथा उक्त वाहन के साथ पंजीकृत वाहन चालक का पंजीकरण अस्थाई रुप से स्थगित करना अथवा पूर्ण रुप से निरस्त करना सम्मिलित हो सकते है। ऐसे किसी मामले में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व का निर्णय अन्तिम होगा।

पंजीकरण की प्रकिया

1. पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने एवं उस हेतु आवेदन प्राप्त करने के संबंध में सूचना न्यूनतम दो समाचार पत्रों जिनका कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वितरण हो, में अवश्य प्रकाशित की जायेगी। साथ ही उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड/वेबसाईट द्वारा भी प्रसारित किया जायेगा।
2. प्रत्येक श्रेणी में वाहनों का पंजीकरण एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्धान्त पर ही किया जायेगा। यदि उक्त सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित सीमासे कम वैध आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्धान्त को शिथिल करने हेतु इस कार्यालय से पृथक से निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।
3. पंजीकृत वाहनों की अन्तिम सूची कार्बेट टाइगर रिजर्व की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
4. जिन आवेदकों को पंजीकरण हेतु पात्र नही पाया जाता है, उनके आवेदनों के निरस्त करने का विवरण भी वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
5. वाहन पंजीकरण के समय वाहन स्वामी को अपने मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका वाहन पंजीकरण कार्बेट टाइगर रिजर्व में नही किया जायेगा।
6. वाहन पंजीकरण अहस्तांतरणीय है। यदि परमिट धारक द्वारा अपना परमिट किसी अन्य को हस्तांतरित किया जाता है तो वह कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में परिचालन हेतु स्वतः निरस्त माना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि परमिट धारक वाहन संचालन हेतु इच्छुक नहीं हो तो वे अपना परमिट अपने परिवार के निकट सदस्य के नाम हस्तांतरित करने हेतु निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस हेतु परिवार की परिभाषा निम्नानुसार होगी–
   1. पति अथवा पत्नी।
   2. पुत्र अथवा पुत्री।
   इस प्रकार पंजीकरण का किसी पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरण किया जाना किसी अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा। इस पर सम्यक निर्णय समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अपने मुखर आदेश द्वारा यथासंभव आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत किया जायेगा। इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।
7. पर्यटन संचालन हेतु वाहनों के नये मॉडल तथा नवीन उत्सर्जक मानकों के अनुरूप वाहनों को पंजीकरण में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. वाहनों के पर्यटन जोन में संचालन हेतु विभिन्न दिशा–निर्देशों का उल्लेख टाइगर कंजरवेशन प्लान तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों में किया गया है। इस कार्यालय तथा निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा भी इस विषय में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये जाते हैं। इसका पूर्णतः अनुपालन करने के लिए वाहन स्वामी एवं चालक बाध्य होंगे।
9. उक्त दिशा–निर्देशों/नियमों की अवहेलना पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2022 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10. इन दिशा–निर्देशों/नियमों में इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।

वाहन स्वामी का नाम व हस्ताक्षर .... ह0..

चालक–1 का नाम व हस्ताक्षर .... ह0..

चालक–2 का नाम व हस्ताक्षर .... ह0..

वाहन स्वामी का नाम .... मोबाइल नं0.. हस्ताक्षर..

8. वाहन चालक का कार्बेट टाइगर रिजर्व में पंजीकरण का वर्षवार विवरण :—

(अ) प्रथम वाहन चालक

क्र.सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)
1	11—12		
2	12—13		
3	13—14		
4	14—15		
5	15—16		
6	16—17		
7	17—18		
8	18—19		
9	19—20		
10	20—21		
11	21—22		
12	22—23		
13	23—24		
14	24—25		

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी अन्य वाहन पर प्रथम वाहन चालक हेतु आवेदन नही किया गया है।

प्रथम वाहन चालक का नाम व हस्ताक्षर

(ब) द्वितीय वाहन चालक

क्र. सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)
1	11—12		
2	12—13		
3	13—14		
4	14—15		
5	15—16		
6	16—17		
7	17—18		
8	18—19		
9	19—20		
10	20—21		
11	21—22		
12	22—23		
13	23—24		
14	24—25		

मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी अन्य वाहन पर प्रथम वाहन चालक हेतु आवेदन नही किया गया है।

द्वितीय वाहन चालक का नाम व हस्ताक्षर

9. कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन स्वामी के पंजीकरण का न्यूनतम 10 वर्ष का विवरण (निम्नलिखित तालिका में केवल 10 वर्ष का विवरण दें तथा जिस वर्ष वाहन पंजीकृत नही हुआ है उसमें ''पंजीकृत नही' अनिवार्यतः लिखें।)

क्र.सं0.	पंजीकरण वर्ष कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत	पंजीकृत वाहन संख्या (आर0टी0ओ)	कार्बेट टाइगर रिजर्व की पंजीकरण संख्या (चिट संख्या)	वाहन स्वामी/परमिट धारक का नाम
1	11—12			
2	12—13			
3	13—14			
4	14—15			
5	15—16			
6	16—17			
7	17—18			
8	18—19			
9	19—20			
10	20—21			
11	21—22			
12	22—23			
13	23—24			
14	24—25			

मेरे द्वारा संलग्न दिशा निर्देशों का भलिभॉति अवलोकन कर लिया गया है, एवं मैं इन दिशा निर्देशों के पालन हेतु सहमत हूँ। उक्त समस्त विवरण (वाहन चालको द्वारा दिये गये विवरण सहित) मेरे संज्ञान में है तथा पूर्ण रूप से सही है यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी गई तो उसके लिए मैं स्वंय उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक :...................................... स्थान ....

फोन /मोबाइल नं0 ....

वाहन स्वामी का नाम व हस्ताक्षर

<u>चैक लिस्ट</u> : इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख /प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

1. आर0सी0।
2. आर0टी0ओ0 द्वार प्रदत्त टैक्सी परमिट संख्या।
3. वाहन का बीमा प्रपत्र।
4. वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों के दो–दो अतिरिक्त पासपोर्ट
5. टैक्स।
6. चालकों के वैध व्यावसायिक वाहन चालन प्रमाण पत्र।
7. वाहन चालकों के दो–दो अतिरिक्त टिकट साइज फोटो (2.1X2.5cm) परिचय पत्र हेतु।
8. प्रदूषण प्रमाण पत्र।
9. फिटनेस प्रमाण पत्र।
10. वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन।
11. शपथ पत्र।
12. वाहन चालक का बीमा प्रपत्र।
13. उत्तराखण्ड का स्थाई प्रमाण पत्र।
14. ई0डी0सी0 ग्राम अध्यक्ष द्वारा जारी ई0डी0सी ग्राम का निवास प्रमाण पत्र (केवल ई0डी0सी श्रेणी हेतु)।

नोटः— 1— वाहन स्वामी/वाहन चालक के 03 वर्ष के अनुभव का लाभ केवल 01 आवेदन पत्र पर ही मान्य होगा। किसी आवेदनकर्ता द्वारा अपने अनुभव का प्रयोग दो आवेदनों पर किया जाना पाया गया तो दोनों आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

2— वाहन स्वामी/वाहन चालक अनुभव के आधार पर जो वाहन पंजीकृत होगें उनके चालकों के नाम पर्यटन सत्र के मध्य में परिवर्तित नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत वाहन ही सम्पूर्ण पर्यटन सत्र हेतु पंजीकृत रहेगें।

3— पंजीकरण शुल्क रू0 350/(तीन सौ पचास रूपये मात्र) वाहन द्वारा पंजीकरण नियम पूर्ण किये जाने के पश्चात् वाहन में पंजीकरण संख्या चस्पा करते समय लिया जायेगा।

4— आवेदन पत्रों को स्वागत कक्ष में जमा करने में कोरोना (COVID-19) महामारी के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

वाहन स्वामी का नाम .... मोबाइल नं0... हस्ताक्षर..

कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु वाहन चालकों के पंजीकरण विषयक दिशा निर्देश

1. कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत पर्यटन संचालन में वाहन चालकों के पंजीकरण हेतु उनके पास व्यावसायिक वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। उक्त पंजीकरण किसी एक वाहन हेतु अनुमन्य होगा।
2. पंजीकृत वाहन चालकों को कार्य के समय टाइगर रिजर्व द्वारा जारी परिचय पत्र गले में पहनना अनिवार्य होगा। निर्धारित बैच व नेम प्लेट आदि भी लगाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक वाहन चालक को पंजीकरण हेतु स्थानीय पुलिस से सत्यापन एवं उत्तराखण्ड का मूल निवास का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
4. पंजीकृत वाहन चालकों को सदैव निर्धारित स्वच्छ वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। बिना वर्दी के प्रवेश निषेध होगा।
5. पंजीकृत वाहन चालकों द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व के समस्त नियमों, निर्देशों तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन करेगें एवं इस हेतु वे पर्यटकों से भी विनम्र व्यवहार करते हुए अनुपालन कराएेगे। पर्यटकों द्वारा किसी नियम/कानून की अवहेलना की स्थिति में पंजीकृत वाहन चालकों को इसकी सूचना तत्काल टाइगर रिजर्व प्रशासन व स्थानीय सुरक्षा स्टाफ को देनी होगी।
6. दैनिक भ्रमण के दौरान पर्यटक वाहनों में खान पान की सामग्री ले जाने को हतोत्साहित किया जाय। यदि किन्हीं कारणों से कोई खान पानसामग्री वाहन में ले जायी जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री जंगल में न फेंकी जाय तथा समस्त पैकेट, रेपर, बोतल इत्यादि को कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर लाकर निस्तारित करना होगा पंजीकृत वाहन चालक कार्बेट टाइगर रिजर्व को स्वच्छ रखने तथा किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रखने में टाइगर रिजर्व प्रशासन का सहयोग करेंगे।
7. पंजीकृत वाहन चालक भ्रमण के दौरान कार्बेट टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मद्यपान, धूम्रपान व अन्य मादक पदार्थों जैसे गुटखा, खैनी आदि का प्रयोग नही करेंगे और न ही साथ रखेंगें। इस निर्देश का विशेष रूप से कठोरता से अनुपालन किया जायेगा।
8. पंजीकृत वाहन चालक किसी भी स्वागत कार्यालयों में प्रवेश नहीं करेंगें। पंजीकृत वाहन चालक पर्यटकों से निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त किसी भी धनराशि की मांग नही करेंगे। पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित धनराशी की मांग अथवा दुर्व्यवहार की शिकायत की पुष्टि होने पर नेचर गाईड तथा नेचुरलिस्ट के विरूद्ध कठोर कार्यवाही तथा पंजीकरण के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
9. पंजीकृत वाहन चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व के किसी भी पर्यटन जोन में पर्यटकों को भ्रमण कराने हेतु शुल्क पूर्व में निर्धारित किया गया है, इसकी भ्रमण अवधि 4 घन्टे से कम नही होगी।
10. पंजीकरण हेतु पंजीकृत वाहन चालक को रूपया 1,00,000/— (एक लाख) का स्वयं के अपने व्यय पर दुर्घटना बीमा करवाना होगा। बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण किया जायेगा।
11. दिवसीय भ्रमण के दौरान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मोबाइल बन्द रखा जाना होगा जिसका उपयोग किसी विशेष अथवा सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर ही अनुमन्य होगा।
12. पंजीकृत वाहन चालकों को विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त वाहन को अधिकतम 15 किमी0 प्रतिघण्टा की चाल से नियंत्रित करना होगा तथा चेकिंग के दौरान गति अधिक पाये जाने पर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. समस्त पंजीकृत वाहन चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व के समस्त नियमों व कानूनों का अध्ययन व जानकारी होना अनिवार्य है।
14. इन नियमों में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।
15. इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही जिसमें पंजीकरण स्थगित करना अथवा निरस्त करना सम्मिलित हो, कर सकते हैं। ऐसे किसी मामले में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व का निर्णय अन्तिम होगा।
16. उक्त दिशा निर्देश वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 28 (1 व 2) के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। अतः उक्त दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी गयी अनुमति का उल्लंघन होगा और उक्त कृत्य के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. पंजीकृत वाहन चालकों द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व के अर्न्तगत विभिन्न पर्यटन जोनों में प्रवेश केवल हेतु पंजीकृत वाहन चालन कार्य किया जाएगा जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी वाहन स्वामी व वाहन चालक की होगी।
18. पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में पंजीकृत वाहन स्वामीयों/वाहन चालकों द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन के अर्न्तगत प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए की वाहन में लगे जी0 पी0 एस0 भली–भॉती कार्य कर रहे हो कार्य न करने की स्थिति में कार्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन को वास्तु स्थिति से अवगत कराना अनिवार्य होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों की होगी।
19. पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों में पंजीकृत वाहन स्वामीयों/वाहन चालकों द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए की **Fire Stop** लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित वाहन स्वामियों/वाहन चालकों की होगी।
20. वाहन स्वामित्व एवं संचालन केवल महिलओं द्वारा किया जायेगा। **(केवल विशेष श्रेणी महिला उद्यमी हेतु)।**

चालक–1 का नाम व हस्ताक्षर ....ह0........................चालक–2 का नाम व हस्ताक्षर......................................ह0..

नोटः— पर्यटन सत्र 2025–26 में वाहन पंजीकरण विषयक दिशा–निर्देश कार्बेट टाइगर रिजर्व का ऑनलाइन आरक्षण पोर्टल http://www.corbettonline.uk.gov.in / https://corbettgov.org पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

वाहन स्वामी का नाम .... मोबाइल नं0.. हस्ताक्षर..